Criminal Misc. Cases 133/2026

IN THE COURT OF
Addl. District Judge Court No. 2
AT, Unnao
(Presided Over by Ankita Mishra)
UPUN010020212026

Criminal Misc. Cases 149/2026

कोमल...................................बनाम.................................बालमीक उर्फ सुमित।

<u>दिनांक- 22.06.2026</u>

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. मे कथन किया गया है कि प्रार्थिनी उपरोक्त पते की निवासी है। प्रार्थिनी के गांव के ही बालमीक उर्फ सुमित पुत्र रमेश नाई पिछडी जाति का है। प्रार्थिनी से पूर्व में जबरन बातचीत करता था इसी बीच प्रार्थिनी की कुछ फोटो अपने मोबाईल में खींच लिया प्रार्थिनी को मालूम हुआ उक्त बालमीक बडा गन्दा व छिछौरा आदमी है वह प्रार्थिनी से गलत सम्बन्ध बनाने की नियत में है। तो उसने बातचीत करना बन्द कर दिया और प्रार्थिनी ने कहा कि हमसे कोई बातचीत मत किया करो तब बालमीक ने प्रार्थिनी के घर पर दिनांक 24.03.2026 को समय लगभग 4 बजे दिन में आया जाति सूचक शब्दो से गाली माता पिता के सामने दिया कि पासिन मादरचोद कही की मैं तुम्हारा फोटो वायरल कर दूंगा यह भी धमकी देता है कि शादी मेरे साथ शादी करो और सम्बन्ध बनाओ नही तो तुम्हारी शादी कही नही होने देगे और तुमको बदनाम कर देगें प्रार्थिनी के मना करने पर उक्त बालमीक प्रार्थिनी की फोटो वायरल कर दिया तथा मो0 नं0-9579725935 व 9987597414 से गलत मैसेज कर रहा है। प्रार्थिनी से बात करने का प्रयास करता है बात करने पर दूसरे नम्बरो से बात करके धमकी देता है तथा इधर उधर लोगो से कहता है कि यदि मेरे साथ शादी नही करोगी तो प्रार्थिनी व उसके माता पिता को जान से मार देगें। प्रार्थिनी ने थाना बारासगवर में दिनांक 26.03.2026 को प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही नही हुई तब पुलिस अधीक्षक महोदय, उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2026 को दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई उल्टा वह बराबर गाली गलौज व जाति सूचक शब्दो से दे रहा हैं कहता है कि मुझसे सम्बन्ध नही बनाया और विवाह नही किया तो जाने से मार देगें। तब यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। घटना श्रीमान् जी के न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं एवं श्रीमान् जी को सुनने का अधिकार प्राप्त हैं। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त मामले जॉच कर रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना बारासगवर को आदेशित करने की कृपा करें।

आवेदिका के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किये गये है।

संबंधित थाना बारासगवर से आख्या तलब की गयी। थाना की प्राप्त आख्या के अनुसार प्रा० पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

Criminal Misc. Cases 133/2026

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा-156(3) दं.प्र.सं. के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivistava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाये क्योंकि अधिकाश मामले वैवाहिक, परिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र मे दिये गये तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022,** wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Of course, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा प्रार्थिनी से गलत संबंध बनाने की नियत से बातचीत करन तथा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदिका को प्रस्तुत

Criminal Misc. Cases 133/2026

प्रार्थना-पत्र मे अभियुक्तगण के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्‌भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदिका प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 19.08.2026 को पेश हो।

दि. 22.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2